



Telephone : 044 – 28889333, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

Investor Relations Cell

IRC/ 71 /2020-21

29.07.2020

The Vice President

National Stock Exchange Limited

"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Senior General Manager

Dept. of Corporate Services

BSE Limited

Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting – Disclosure under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR)

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit Notice of Annual General Meeting to be held on Monday, 24th August, 2020 at 11.00 a.m. at the Central Office of the Bank at 763, Anna Salai Chennai – 600 002 (deemed venue of the AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual means (OAVM).

Please take the same on record.

Thanking You

Yours faithfully,

S Nandakumaran
DGM & Company Secretary





शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2020 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल ज़रिए (ओएवीएम) से निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च 2020 तक बैंक के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, कथित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ एवं हानि खाते लेखे, लेखा द्वारा कवर की गई बैंक की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधि और कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा व तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, मंजूरी एवं उन्हें अपनाने के लिए।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 23 जुलाई 2020

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

नोट्स

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल ज़रिए (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("ई-एजीएम")

कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्याओं क्रमशः 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020 , 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 व 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020 तथा सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी / सीएमडी1/ सीआइआर /पी/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020 के माध्यम से कंपनियों को कलेंडर वर्ष 2020 के दौरान शेयरधारकों की सशरीर मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन ,2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल ज़रिए (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है। अतः शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं। बैठक में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से प्रतिभागिता करने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया नोट सं. 10 में वर्णित है ।

बैंक ने नेशनल डिपोजिटरी सर्विसेस (सीडीएसएल) को वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करने हेतु एवं ई-एजीएम के आयोजन करने के लिए अटेंडेंट इनेब्लर्स के रूप में नियुक्त किया है।

कथित सेबी एवं एमसीए परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ईमेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास रजिस्टर हैं। शेयरधारकों यह नोट कर सकते हैं कि नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 बैंक की वेबसाइट www.ioab.in पर अपलोड की गयी है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज यानि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the **Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Monday, the August 24, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:**

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2020, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

By order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : July 23, 2020

Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

Notes

1. ANNUAL GENERAL BODY MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("E-AGM"):

In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for the calendar year 2020 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The detailed procedure for participating in the Meeting through VC/OAVM is given in Note No.10.

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL), to provide VC/OAVM facility for the E- AGM and as the attendant enablers for conducting of the E-AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of E-AGM along with Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholder may note that Notice and Annual Report 2019-20 have been uploaded on the website of the Bank at www.ioab.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India



ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है और एजीएम नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com/>. पर भी उपलब्ध है।

एजीएम संबंधी नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक <https://investors.cameoindia.com> लिंक पर क्लिक कर अस्थायी रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं। बैठक का आयोजन बैंक के केंद्रीय कार्यालय, जो कि 763, अण्णा सालै, चेन्नै -600002 में स्थित है, में आयोजित की जाएगी।

प्रॉक्सियों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति :

उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुसार, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों को मतदान में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

हालांकि, निकाय कॉर्पोरेट्स प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और वहां मतदान में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करने के हकदार हैं। संस्थागत / कॉर्पोरेट शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों / एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प अथवा प्रशासनिक निकाय के संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ / जेपीईजी फॉर्मेट) भेजनी चाहिए जिसमें उनके प्रतिनिधि के तौर पर वीसी/ ओएवीएम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक में प्रतिभागिता करने एवं ई-वोटिंग के ज़रिए वोट करने का प्राधिकरण हो। कथित संकल्प / प्राधिकरण जाँचकर्ता को ई-मेल द्वारा अपने-अपने पंजीकृत ई-मेल पते से agm@cameoindia.com पर भेजना होगा जिसकी प्रति rsaevoting@gmail.com को तथा investor@jobnet.co.in पर बैंक को भेजी जानी चाहिए और यह किसी भी हालत में बैठक की तिथि से 4 दिन पहले ही भेज देनी होगी यानि 20 अगस्त 2020 को शाम 04.00 बजे तक या उससे पहले। तदनुसार, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप इस नोटिस के साथ अनुबंधित नहीं है।

3. बही बंदी :

शेयर धारकों और बैंक के शेयर अंतरण रजिस्टर मंगलवार, 18 अगस्त, 2020 से सोमवार, 24 अगस्त, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

4. अदावी लाभांश, यदि कोई हो:

बैंकिंग कंपनियों की धारा 10 बी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश शेष की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 की धारा 205 सी / 125 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) द्वारा अंतरित किया जाना आवश्यक है। अतः, वर्ष 2011-12 तक की अदत्त / अदावी लाभांश राशि को IEPF में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने 2012-13 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए अपने लाभांश का दावा / प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि लाभांश के

Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. <https://www.evoting.nsdl.com/>.

Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link <https://investors.cameoindia.com> to get the soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

2.APPOINTMENT OF PROXIES AND AUTHORIZED REPRESENTATIVE(S):

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to agm@cameoindia.com with copy marked to rsaevoting@gmail.com and to the Bank at investor@jobnet.co.in not later than four days before the date of the meeting, i.e., on or before 4.00 p.m. (IST) on August 20, 2020. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

3.BOOK CLOSURE :

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Tuesday, the August 18, 2020 to Monday, the August 24, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

4.UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C / 125 of the Companies Act, 1956 / 2013. As such, the unpaid / unclaimed dividend amount upto the year 2011-12 has been transferred to IEPF.

The shareholders who have not claimed / received their Dividend for the years from 2012-13 to 2013-14, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for payment of the dividends immediately. The Bank has posted



भुगतान के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से तुरंत संपर्क करें। शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक से संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर, यानी, www.iob.in पर अदावी / अदत्त लाभांश वारंट का विवरण पोस्ट किया है।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करें। वे शेयरधारक जो अपने शेयरों को भौतिक रूप में रखते हैं, बैंक के निवेशक संबंध कक्ष को या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को नीचे **अनुच्छेद (5) में दिए गए** पते पर अपने बैंक अधिदेश को प्रस्तुत / अपडेट करें।

5. पते में परिवर्तन :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में, निम्न पते पर बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित करें।

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
(यूनिट: इंडियन ओवरसीज बैंक)
सुब्रमणियन भवन
नंबर 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नई – 600002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते और ईसीएस अधिदेश विवरण में यदि कोई परिवर्तन हो तो केवल अपने **संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओ)** को तो सूचित करें।

6. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो (यानी) कई फोलियो बनाए रखते हैं। प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को अपने शेयर प्रमाणपत्र अग्रेषित करके फोलियो को समेकित करें।

7. हरित पहल :

'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे गए हों, तो उसे अपने डीपी के साथ पंजीकृत करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को investors.cameoindia.com पर ईमेल भेजें या वे <https://investors.cameoindia.com> लिंक पर क्लिक करने वाली वेबसाइट देख सकते हैं।

8. मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 के उप-धारा (2 ई) के संदर्भ में (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, केंद्र सरकार के अलावा अन्य संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने शेयर धारण के प्रति मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

बशर्ते, प्रत्येक शेयरधारक, जो **सोमवार दिनांक 17 अगस्त, 2020** की कट-ऑफ तारीख पर एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक में मतदान करने

the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its website i.e., www.iob.in to enable the shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank.

The shareholders holding shares in demat form are requested to update their bank account details with their depository participant. The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Investor Relations Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in **Para (5) below**.

5. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Cameo Corporate Services Limited
(Unit : Indian Overseas Bank)
Subramanian Building
No.1, Club House Road
Chennai - 600 002.

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s)**.

6. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

7. GREEN INITIATIVE:

To support the 'Green Initiative', shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Cameo Corporate Services Limited in case the shares are held by them in physical form by sending email to investor@cameoindia.com or they may visit to website clicking on the link <https://investors.cameoindia.com>

8. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut-off date **Monday, the August 17, 2020** will be entitled to participate and vote in



का हकदार होगा और उसके पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होते हैं, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, एकमात्र धारक माना जाएगा। इसी तरह, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो पहले नामित व्यक्ति केवल ई-एजीएम में भाग लेने और एजेंडा पर वोट देने के लिए या तो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या ई-एजीएम पर वोटिंग के हकदार हैं।

9. भौतिक शेयरधारकों का डिमटेरियलाइजेशन - शेयरहोल्डर्स से एक विशेष अनुरोध:

सेबी सूचीकरण नियमावली के नियमन 40 के अनुसार, संशोधित, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 01 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में अंतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के प्रसारण या अंतरण के लिए अनुरोध के मामले में। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें।

10. रिमोट ई-वोटिंग, वीसी / ओवीएम और ई-एजीएम के दौरान ई वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश

10ए : रिमोट ई - वोटिंग

सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के 44 विनियम के अनुरूप, बैंक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएस) के माध्यम से बैंक के सभी शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से 23 जुलाई, 2020 (एजीएम नोटिस) बैंक की बीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित संकल्प पर उन्हें वोट डालने में सक्षम बना सके। बैंक ने मेसर्स आर श्रीधरन एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस नंबर 4775) (सीपी नं 3239) के श्री आर श्रीधरन, को एजीएम की तिथि पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोट प्रक्रिया के साथ-साथ दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश निम्न प्रकार है :

ई-वोटिंग इवेंट नंबर (ईवन) 113213 है

दूरस्थ के ई-मतदान की अवधि को शुरू होता है **शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020 पूर्वाह्न 09:00 बजे (आईएसटी)** और समाप्त होती। **रविवार दिनांक 23 अगस्त, 2020 अपराह्न 05.00 बजे (IST)** दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएस द्वारा अक्षम किया जाएगा।

मैं एनएसडीएस ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?

एनएसडीएस ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की प्रक्रिया "दो चरण" शामिल है जो नीचे उल्लिखित हैं:

चरण 1: <https://www.evoting.nsdl.com/> पर एनएसडीएस ई-वोटिंग सिस्टम में लॉग-इन करें

चरण 2: एनएसडीएस ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

the remote e-voting or e-voting at the Annual General Meeting and shall have one vote for each share held by him / her. If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to participate in the e-AGM and vote on the agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM.

9.DEMATRIALISATION OF PHYSICAL HOLDINGS - A SPECIAL REQUEST TO SHAREHOLDERS:

As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 01, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form.

10. PROCEDURE & INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING, JOINING THE AGM THROUGH VC/ OAVM AND FOR E-VOTING DURING E-AGM:

10A. REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolution mentioned in the notice of Twentieth Annual General Meeting of the Bank dated July 23, 2020 (the AGM Notice). The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (ACS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner. Remote e-voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:

The E-Voting Event Number(EVEN) is 113213

The remote e-voting period begins on **Friday, the 21st August, 2020 at 09:00 a.m. (IST)** and ends on **Sunday 23rd August, 2020 at 05:00 p.m. (IST)** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.



चरण 1 के विवरण नीचे उल्लिखित है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें ।
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "शेयरहोल्डर 'सेक्शन के तहत उपलब्ध आइकन" लॉगिन "पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल eservices यानी IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं । एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल के लिए लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से चरण 2 यानी अपने मतदान करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण की पद्धति यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप में।	आपकी यूजर आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300 *** है और क्लाइंट आईडी 12 ***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300 *** 12 ***** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 ***** है तो आपकी यूजर आईडी 12 ***** है।
ग) भौतिक रूप में फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ईवन नंबर और उसके बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001 *** और ईवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001 *** है।

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना मौजूदा पासवर्ड लॉगिन कर अपना वोट डाल सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
 - (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Your password details are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you



पंजीकृत है, तो आपके ईमेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको भेजा जाता है। एनएसडीएल से आपके मेल पर आपके द्वारा भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल खोलें। .Pdf फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, जो सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंकों या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .Pdf फ़ाइल में आपकी 'यूज़र आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया **उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया** में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें **जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।**

6. यदि आप **"प्रारंभिक पासवर्ड"** प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) **"यूज़र विवरण / पासवर्ड भूल गए "** पर क्लिक करें? "(यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध है।

ख) **भौतिक यूज़र रीसेट पासवर्ड ?** "(यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध विकल्प।

ग) यदि आप अभी भी दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए OTP (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर सहमत हों।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 पर विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कैसे करें ?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।

2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को "ईवीएन" देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग चक्र सक्रिय स्थिति में है।

3. बैंक का "EVEN" चुनें जो **113213** है।

4. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुलता है।

5. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपने वोट कास्ट करें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट करें" और "पुष्टि करें" पर क्लिक करें।

on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/Password?"**(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.

2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.

3. Select "EVEN" of bank which is **113213**.

4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.



6. पुष्टि करने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
7. पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है, जो विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओ) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ हो। वोट करने के लिए करने के लिए ई-मेल द्वारा अनुसंधान की गई है, के लिए अधिकृत हैं rsaevoting@gmail.com एक प्रति के लिए चिह्नित साथ evoting@nsdl.co.in।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी घटना में, आपको "यूजर का विवरण भूल गए / पासवर्ड भूल गए?" "या" भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड? पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई-वोटिंग यूजर पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल करें। या 022-24994545 पर सुश्री पल्लवी महारे और evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड की खरीद के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी का पंजीकरण :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में होते हैं, तो कृपया investor@cameoindia.com को ईमेल द्वारा फोलियो नंबर, शेयरहोल्डर का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे का), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी) प्रदान करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में होते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी) प्रदान करें, नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्वयं आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अनुप्रमाणित) investor@cameoindia.com को।

10 बी एजीएम के रूप में ई-वोटिंग के लिए सदस्यों अनुदेश निम्नानुसार हैं: -

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य / शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से रोका

6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to rsaevoting@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at 022-24994545 & evoting@nsdl.co.in.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor@cameoindia.com
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investor@cameoindia.com.

10 B. THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not casted their vote on the Resolutions through remote



नहीं गया है, मात्र एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

4. रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु संपर्क व्यक्ति होगा।

10 सी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेनेवाले सदस्यों के लिए अनुदेश इस प्रकार है :

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों लॉगिन के तहत <https://www.evoting.nsdl.com> पर एक्सेस कर सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवीएन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है।

3. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए आगे सदस्यों को कैमरा की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त अडचनों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने को सुझाया जाता है।

5. शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा 1,000 शेयरधारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारक रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लें।

6. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, 20.08.2020 को या उससे पहले उनके नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए पहले से अपना अनुरोध भेजकर खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर

e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

10 C. INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

6. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before 20.08.2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in The shareholders who do not wish



सकते हैं। investor@iobnet.co.in पर जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 20.08.2020 से पहले या उनके नाम, डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रश्न investor@iobnet.co.in. पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा एजीएम में या ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

7. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

8. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को इंडियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैंड) विनियम, 2003 के विनियमन 58 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

11. ई-वोटिंग और ई-वोटिंग ई-एजीएम के अनुसार:

वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग के समापन के तुरंत बाद, संवीक्षक वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान डाले गए वोटों की गिनती करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग और वोट के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा लेकिन एजीएम की समाप्ति के 48 घंटे के बाद नहीं। कुल मतों की एक समेकित संवीक्षा रिपोर्ट, जिसके पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई मत हो, अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति, प्रतिहस्ताक्षर करेगा। दूरस्थ ई-वोटिंग के परिणामों को एजीएम में ई-वोटिंग के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा, जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी अलग से भेजी जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेश से

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 23.07.2020

to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance on or before 20.08.2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably at the AGM or by email.

7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003

11. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING E-AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

THE SOFT COPY OF THE ANNUAL REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR 2019-20 IS BEING SENT SEPARATELY.

By order of the Board of Directors

(Ajay Kumar Srivastava)
Executive Director

Chennai
23.07.2020